

27/11/17

संख्या : 1855/111(1)/17-01(14)/अधि0/17

प्रेषक,

प्रदीप मोहन नौटियाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषय:-राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-217/XXX-2/2017/55(02)/17, दिनांक 06.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपने विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में निर्गत कतिपय दिशा-निर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष सुनिश्चित कराये जाने के साथ कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र दिनांक 06.07.2017 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित किये जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्काल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर कमेटी की संस्तुति/निर्णय के क्रम में यदि शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो तत्काल परीक्षण कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा आपसे सम्बन्धित होने की स्थिति में नियमानुसार समस्त विधिक पहलुओं/विद्यमान शासनादेशों/नियमों को ध्यान में रखते हुये समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,
(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।

1855/111 (1) 117

संख्या-११७/XXX(2)/2017/55(2)

सेवा में,

एस0रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3786 प्रेषक,

AS MH/ME/RE
AS PWD/IS/US/POD
AS (RS)

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रमारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

विभाग-2

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 06 मई, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-131/कार्मिक-2/2002 दिनांक 20.02.2002 तथा शासनादेश संख्या-611/कार्मिक-2/2003 दिनांक 30.06.2003 में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 मार्ग-2 से 4 के मूल नियम-56 की व्यवस्था के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुये यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नवम्बर माह के अन्तर्गत अवश्य करा ली जाये और इस संबंध में समस्त कार्यवाही करने के बाद 31 मार्च तक कार्मिक विभाग को निर्धारित पत्र पर सूचना उपलब्ध करायी जाये।

2- विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों के आलोक में प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं की जा रही है परिणामस्वरूप 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लोक सेवकों की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में गुजरात बनाम उमेद भाई ए पटेल (AIR 2001 CS 1109) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त भी दिये गये हैं:-

- (1)- जब किसी लोक सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिये उपयोगी नहीं रह गई है तो अधिकारी को लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

07/117
21/7/17

- (2)- साधारणतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अनु0 311 के अन्तर्गत दण्डस्वरूप नहीं माना जाना चाहिये।
- (3)- अच्छे प्रशासन के लिये यह आवश्यक है कि मृतप्राय लकड़ी को काट दिया जाये, किन्तु छटनी का आदेश अधिकारी की सेवा के संपूर्ण रिकार्ड को ध्यान में रख कर ही पारित किया जाना चाहिये।
- (4)- ऐसे आदेश को पारित करते समय अधिकारी के गोपनीय रिकार्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि को ध्यान में रखना चाहिये और उसे यथोचित वरीयता देनी चाहिये।
- (5)- यहां तक कि गोपनीय रिकार्ड में असंसूचित प्रविष्टि पर भी विचार किया जाना चाहिये।

(6)- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश ऐसे संक्षिप्त तरीके से नहीं पारित किया जाना चाहिये ताकि विभागीय जांच से बचा जा सके जब कि ऐसा रास्ता अधिक वांछनीय है।

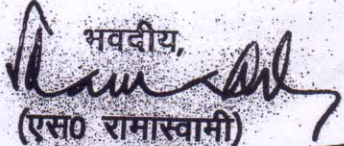
(7)- अधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद प्रोन्नति दी गयी है तो वह अधिकारी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

(8)- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्डस्वरूप नहीं पारित किया जाना चाहिये।

3- इसी प्रकार विजयमोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य और वैद्यनाथ महापात्र बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में भी मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना चाहिये। न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त विहित किये हैं:-

- (1)- अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दण्ड नहीं है।
- (2)- आदेश लोकहित में पारित किया जाना चाहिये। सरकार का निर्णय व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) होता है।
- (3)- इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है। न्यायालय मनमानेपन के विरुद्ध जांच कर सकते हैं।
- (4)- सरकार या पुनर्विलोकन समिति निर्णय लेने के पूर्व सेवक के पूर्ण रिकार्ड पर विचार करेगी और विशेषकर बाद के वर्षों में।

4- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें और वित्तीय वर्ष 2016-2017 के संबंध में यदि बैठक नहीं की गयी है तो तत्काल बैठक आहूत कराकर कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

 (एस0 रामास्वामी)
 मुख्य सचिव